

कुल राम काम बुधकट दीप्ति 08/24

सांक

आज्ञा पत्र

65. 1

पत्रावली पेश । अपील अपीलांट.....
की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद
तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
एडेम राजारव अपील अधिकारी
सीकर



अगरी

अगरी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 08/2024


1 फूलाराम उम्र 37 साल पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना मो. 9680293083



अपीलांटस

बनाम

- 1 सुधाकर दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित जाति ब्राह्मण निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 2 पटवारी, पटवार हल्का आसपुरा।
- 3 उप पंजीयक अजीतगढ़।
- 4 उप-तहसीलदार अजीतगढ़।
- 5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
- 6 कानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 7 किशनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 8 सरदारा पुत्र मांगू जाति जाट
- 9 मोहरूराम पुत्र मांगू जाति जाट
- 10 रूघनाथ पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 11 राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम जाति जाट
- 12 विनोद पुत्र मंगलाराम जाति जाट
- 13 हरबक्सा पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 14 रामकुमार पुत्र रिछपाल जाति यादव
- 15 सत्यनारायण पुत्र भवानी सिंह जाति यादव
- 16 उम्मेद सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत
- 17 जयसिंह पुत्र फोजूसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 20 साल पूर्व)
- 17/1 भवानी सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
- 17/2 इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 18 साल पूर्व)
- 17/2/1 प्रेम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
- 17/2/2 औमसिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
- 18 नाथू सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 10 साल पूर्व)



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



- 18/1 भंवर कंवर पत्नी नाथू सिंह जाति राजपूत
 18/2 विनोद सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत
 18/3 श्रवण सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत
 19 फूल कंवर पत्नी सज्जन सिंह जाति राजपूत
 20 भंवर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत (गांव छोड़कर 40 सालों से अन्यत्र चला गया मालूम होने पर पता पेश किया जायेगा।)
 21 मंजू कंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत
 22 महेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत
 23 ेर सिंह पुत्र जलसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 15 साल पूर्व)
 23/1 अमर सिंह पुत्र ेरसिंह जाति राजपूत
 23/2 चिनमो उर्फ चिमन सिंह पुत्र ेर सिंह जाति राजपूत
 23/3 युवराज पुत्र ेर सिंह जाति राजपूत
 24 सरोज कंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत
 समस्त जातिगण आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना।
 25 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गाखा नांगल जरिये गाखा प्रबन्धक
 26 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गाखा गढ़टकनेत जरिये गाखा प्रबन्धक
 27 भूमि विकास बैंक गाखा श्रीमाधोपुर जरिये गाखा प्रबन्धक
 28 पंजाब नेशनल बैंक गाखा अजीतगढ़ जरिये गाखा प्रबन्धक
 29 दी सेन्ट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड गाखा अजीतगढ़ जरिये गाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री
 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर प्रकरण सुधाकर दीक्षित बनाम
 उम्मेद सिंह वगै. मु.नं. 127/2022 प्रारम्भिक
 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2023


 गू-प्रदत्त अधिकारी एव
 नन्दन राजस्य अपील अधिकारी
 सीकर




अपील संख्या 159 / 2023

1 फूलाराम उम्र 37 साल पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना मो. 9680293083

अपीलांटस

बनाम

- 1 सुधाकर दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित जाति ब्राह्मण निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 2 पटवारी, पटवार हल्का आसपुरा।
- 3 उप पंजीयक अजीतगढ़।
- 4 उप-तहसीलदार अजीतगढ़।
- 5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
- 6 कानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 7 किशनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 8 सरदारा पुत्र मांगू जाति जाट
- 9 मोहरूराम पुत्र मांगू जाति जाट
- 10 रूघनाथ पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 11 राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम जाति जाट
- 12 विनोद पुत्र मंगलाराम जाति जाट
- 13 हरबक्सा पुत्र तेजाराम जाति जाट
- 14 रामकुमार पुत्र रिछपाल जाति यादव
- 15 सत्यनारायण पुत्र भवानी सिंह जाति यादव
- 16 उम्मेद सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत
- 17 जयसिंह पुत्र फोजूसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 20 साल पूर्व)
- 17/1 भवानी सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
- 17/2 इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 18 साल पूर्व)
- 17/2/1 प्रेम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
- 17/2/2 औमसिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत


 अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



- 18 नाथू सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 10 साल पूर्व)
 18/1 भंवर कंवर पत्नी नाथू सिंह जाति राजपूत
 18/2 विनोद सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत
 18/3 श्रवण सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत
 19 फूल कंवर पत्नी सज्जन सिंह जाति राजपूत
 20 भंवर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत (गांव छोड़कर 40 सालों से अन्यत्र चला गया मालूम होने पर पता पेश किया जायेगा।)
 21 मंजू कंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत
 22 महेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत
 23 शेर सिंह पुत्र जलसिंह जाति राजपूत (फौत लगभग 15 साल पूर्व)
 23/1 अमर सिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत
 23/2 चिनमो उर्फ चिमन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति राजपूत
 23/3 युवराज पुत्र शेर सिंह जाति राजपूत
 24 सरोज कंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत
 समस्त जातिगण आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना।
 25 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नांगल जरिये शाखा प्रबन्धक
 26 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गढ़टकनेत जरिये शाखा प्रबन्धक
 27 भूमि विकास बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
 28 पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
 29 दी सेन्ट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा अजीतगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक
 कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
 प्रकरण सुधाकर दीक्षित बनाम उम्मेद सिंह वगै. मु.
 नम्बर 127/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023

अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



उपस्थिति :


1. श्री राधाकृष्णा स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

-निर्णय-

दिनांक:- 26/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023, 15.09.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 2.62 हैक्टेयर तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. हाल जिला नीमकाथाना की बाबत दिनांक 01.09.2022 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी सुधाकर दीक्षित बनाम उम्मेदसिंह वगै. मु.नं. 127/2022 गलत व मिथ्या तथ्योयुक्त प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर तारीख पेशी 15.09.2022 नियत की गयी एवं उक्त दावा हाजा में अपीलार्थी-प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 18.01.2023 को गलत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवा दी गयी एवं इसके बाद दिनांक 12.04.2023 को वादी अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह बांकावत व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा एडवोकेट ने आपस में मिलीभगत करके एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत विचारण न्यायालय को मुगालता देकर पी.डी. के लिए दुरभीसंधि के तहत सहमति देकर एकपक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के आदेश पारित करवा लिये एवं मनमर्जी का एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करवाकर, दावा हाजा में आगामी तारीख पेशी 17.10.2023 नियत थी, इसके बावजूद भी उससे एक माह पहले ही पत्रावली में


 अधिकारी एवं
 पदेन राजसही अपील अधिकारी
 सीकर



दिनांक 15.09.2023 को ही विचारण न्यायालय को मुगालता में रखते हुए एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करवा ली। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 08/2024 धारा 5 के साथ व अपील संख्या 159/2023 अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है।


बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 2.62 हैक्टेयर तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित है जिसमें अपीलार्थी अपनी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि पर मौके पर पूर्णतः काबिज काशत चला आ रहा है परन्तु उक्त भूमि बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में दावा गलत व मिथ्या तथ्योयुक्त प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर तारीख पेशी 15.09.2022 नियत की गयी एवं उक्त दावा हाजा में अपीलार्थी-प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 18.01.2023 को गलत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवा दी गयी एवं इसके बाद दिनांक 12.04.2023 को वादी अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह बांकावत व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा एडवोकेट ने आपस में मिलीभगत करके एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत विचारण न्यायालय को मुगालता देकर पी.डी. के लिए दुरभीसंधि के तहत सहमति देकर एकपक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के आदेश पारित करवा लिये एवं मनमर्जी का एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करवाकर, दावा हाजा में आगामी तारीख पेशी 17.10.2023 नियत थी, इसके बावजूद भी उससे एक माह पहले ही पत्रावली में दिनांक 15.09.2023 को ही विचारण न्यायालय को मुगालता में रखते हुए एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करवा ली गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरित होकर प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है। एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने मनमर्जी का तैयार करवाकर प्रस्तुत करवाया गया है उसमें नक्शा ट्रेस में दर्शित खसरा नम्बर 569/12 पर मौके पर सीताराम कुमावत पुक्ता मकानात बनाकर काबिज काशत चला आ रहा है उसको छुपाया गया है एवं दावा हाजा में उसको रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने बेईमानीपूर्वक पक्षकार भी नहीं बनाया गया है इसलिए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय


 पंचसही अदालत एवं
 पदेन राजसरा अपील अदालत
 सीकर



के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होकर अपास्त होने योग्य है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की गयी है जो प्रारम्भतः शुन्य है कानूनन मृत व्यक्तियों के विरुद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती विचारण न्यायालय ने तामील रिपोर्ट का सही अवलोकन किये बिना व तामील प्रक्रिया पूरी किये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की गयी है अन्यथा तामील कुनिन्दा रिपोर्ट पर भी मृत की सूचना प्राप्त हो चुकी थी इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया जबकि खातेदार जयसिंह, नाथूसिंह, भंवर सिंह व शेरसिंह काफी वर्षों पूर्व ही फौत हो चुके थे विचारण न्यायालय ने इनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। प्रारम्भिक डिक्री पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर विचारण न्यायालय की यह वैद्यकारी जिम्मेदारी थी कि वह अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारान को समुचित सुनवायी का अवसर प्रदान करे व विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति मांगी जाकर आपसी सहमति पर ही अंतिम डिक्री बाद प्रक्रिया जारी की जा सकती है विचारण न्यायालय ने इस ओर ध्यान न देकर चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेन्ट की ओर से विवादित भूमियों के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 20 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत अपील केवल प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत की गई है। अन्य किसी प्रतिवादी ने प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7 अपीलान्ट की रजिस्टर्ड डाक से तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार दिनांक 18.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त


 अधिवक्ता अधिपति एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर




होने पर उभयपक्ष को सुनकर अंतिम डिक्री जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 17.10.2023 नियत थी, इसके बावजूद भी उससे एक माह पहले ही पत्रावली में दिनांक 15.09.2023 को ही विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरित होकर प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया गया है उसमें नक्शा ट्रेस में दर्शित खसरा नम्बर 569/12 पर मौके पर सीताराम कुमावत पुक्ता मकानात बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है यह अपीलांट का आक्षेप है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की गयी है जो प्रारम्भतः शुन्य है कानूनन मृत व्यक्तियों के विरुद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती विचारण न्यायालय ने तामील रिपोर्ट का सही अवलोकन किये बिना व तामील प्रक्रिया पूरी किये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की गयी है जबकि खातेदार जयसिंह, नाथूसिंह, भंवर सिंह व शेरसिंह काफी वर्षों पूर्व ही फौत हो चुके थे विचारण न्यायालय ने इनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के


 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर सभी प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी प्राधिकारी,
सीकर